# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

## पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

**प्रकरण संख्या – 60/2023**

**उनवान**

मु. अम्बा पत्नी प्रदीप सिंह वर्मा निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

**बनाम**

1– धन्ना पुत्र कालू नायक निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा
2– लक्ष्मण पुत्र बालूदास वैष्णव निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा
3– भंवर उर्फ भूरा पुत्र बालू मेघवाल(बलाई) निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा
4– जमना पुत्र बजरंगदास वैष्णव निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री नमन ओझा
अधिवक्ता प्रार्थीया

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956**

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक– 12.06.2023**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **बड़ेसरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 995 रकबा 0.30 है0** कुल किता **1** रकबा **0.30** हैक्टेयर की **प्रार्थीया खातेदार** काश्तकार है। प्रार्थी की पेरा सं0 01 में वर्णित आराजियात के विपक्षीगण पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। प्रार्थी अपनी आराजियात की मेड़ों से घास काटाते समय विपक्षीगण विवाद होता रहता है। अत पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राजस्व मंत्रालियक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल के पश्चात दिनांक 12.06.2023 को पेश हुई। प्रकरण के अवलोकन से **विपक्षीगण** सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। किन्तु आज दिनांक तक विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए है एवं न ही उनकी तरफ से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थीया** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बड़ेसरा पटवार हल्का फुलिया खुर्द संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीया के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः **प्रार्थीया** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बड़ेसरा** में स्थित **प्रार्थीया** की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.30 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12.06.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा